



कार्यालय कलेक्टर (लोक सेवा प्रबंधन विभाग) जिला दमोह (म.प्र.)

क्रमांक/ 904/लो.से.प्र./2021

दमोह, दिनांक 02/07/2021

// Corrigendum - 1 //

आपदा प्रबंधन के सुचारु समन्वय एवं प्रबंधन के लिये जिला स्तरीय कॉल सेंटर स्थापित किये जाने हेतु जारी RFP Reference No. PSM/DNCC/DAMOH/2021/860, दिनांक 17/06/2021 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

1. RFP Clause 3.1.1 Tender fees एवं Clause 3.1.2 Earnest Money Deposit (EMD) में MSME/NSIC MSME/NSIC सर्टिफिकेटधारी निविदाकारों के लिये छूट प्रदान की जाती है। यदि निविदाकार कोई कम्पनी/फर्म/समिति है, एवं निविदाकार द्वारा EMD के स्थान पर MSME/NSIC का उपयोग/लाभ लिया गया है तो Net Worth एवं Turnover सर्टिफिकेट भी संबंधित कम्पनी/फर्म/समिति के नाम से होना अनिवार्य है। यदि उपरोक्तानुसार निविदाकार द्वारा उपरोक्तानुसार निविदाकार निविदा प्रक्रिया उपरांत सफल निविदाकार के रूप में चयनित होता है तो ऐसी स्थिति में निविदाकार को राशि रु 50000/- (पचास हजार रुपये) की निविदा सुरक्षा राशि जमा करना होगा।

(कलेक्टर/सचिव जिला ई-गवर्नेंस समिति द्वारा अनुमोदित)

(अजय श्रीवास्तव)
I.A.S.
अपर कलेक्टर
जिला- दमोह

पृ. क्रमांक: 904/लोसेप्र/2021

दमोह, दिनांक 02 / 07 /2021

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, लोक सेवा प्रबंधन विभाग, भोपाल, सूचनार्थ संप्रेषित।
2. कार्यपालक संचालक, राज्य लोक सेवा अभिकरण, म.प्र. भोपाल, सूचनार्थ संप्रेषित।
3. आयुक्त सागर, संभाग सागर, सूचनार्थ संप्रेषित।
4. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी दमोह, की ओर संलग्न विज्ञप्ति को जिले की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
5. सर्व संबंधित की ओर सूचनार्थ।

अपर कलेक्टर
जिला- दमोह